ई, मेल :- dforudraprayag@gmail.com
फोन / फैक्स नं0 :- 01364 – 233505::
पता -: माई की मढ़ी निकट जवाडी बाईपास रूद्रप्रयाग

कार्यालय उप वन संरक्षक, रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

पत्रांक– 1609 / 12-1(2) दिनांक 03/02/2021::

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग।

1531/1601
5/02/2021

विषय :– जनपद–रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में जिला योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित टिहरी–घनसाली मोटर मार्ग के फतेडू से रा0इ0का0 बुढ़ना–नगेला–भेंट–एकलिंग–कण्डवालगांव–सुनारगांव–धुराणगांव होते हुये धान्यों तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.75 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। **PROPOSAL NO.- FP/UK/ROAD/39452/2019**

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून ने उनकी पत्र संख्या–08बी. / यू.सी.पी. / 06 / 04 / 2021 / एफ.सी. / 2205 दिनांक 29.01.2021 के द्वारा विषयगत प्रकरण में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में प्रदत्त अध्यारोपित शर्तों के अनुपालन में जमा की जाने वाली धनराशियों का डिमांड नोट निम्न प्रकार प्रेषित है–

(1) शर्त संख्या–3(क) के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तन भूमि के बदले 3.50 है0 ग्राम–बुढ़ना सिविल सोयम भूमि खसरा नं0–103 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु देय धनराशि प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–972 / 3–5–2(II) दिनांक 21.11.2017 में उल्लिखित वसूली वर्ष–2020–21 के लिये निर्धारित दर 337184.00 के अनुसार रुपये 3.50 ha. @ 337184.00 = 1180144.00 (ग्यारह लाख, अस्सी हजार, एक सौ चवालीस) मात्र की धनराशि जमा की जानी है।

(2) शर्त संख्या–5(क) के अनुपालन में ऑनलाईन भरे गये प्रपत्र–भाग–2 के अनुसार प्रशनगत क्षेत्र इको क्लास–V के अन्तर्गत है तथा हरियाली का घनत्व 0.50 है। तद्नुसार भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र संख्या–5–3 / 2007–एफ0–सी0 दिनांक 05.02.2009 में उल्लिखित दरों के अनुसार रुपये 1.75 ha. @ 845000.00/ha. = 1478750.00 (चौदह लाख, अठहत्तर हजार, सात सौ पचास) मात्र की धनराशि जमा की जानी है।

अतः उपरोक्तानुसार आंकलित की गई धनराशियों का अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून कार्यालय से सत्यापित होने के पश्चात् सैद्धान्तिक स्वीकृति में उल्लिखित शर्त संख्या–8 के नियमानुसार उक्त आंकलित धनराशियों को जमा करना सुनिश्चित करें।

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।

संख्या– / दिनांकित।

प्रतिलिपि :– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कालोनी, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग को सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक,
रूद्रप्रयाग वन प्रभाग, रूद्रप्रयाग।